लद्दाख को संसद् सदस्यों का शिष्ट मण्डल

3

*८४२. **श्री बागड़ी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लद्दाख की परिस्थिति को देखने के लिये लोक-सभा के सदस्यों को कोई शिष्टमंडल लद्दाख भेजने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). अवकाशकाल में, सरकार ने कुछ संसद् सदस्यों के लेह जाने के प्रति पग उठाये हैं। श्रीनगर से लेह की यात्रा के लिए, इस दल को विमान सेना का एक विमान ले जायेगा।

3

AVRO—748

*843. **Shri P. C. Borooah**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the contract for the manufacture of Avro-748 transport planes has been signed between the Indian Government and the British aircraft designers, the Hawker Siddley Aviation Group; and

(b) if so, the main terms of contract?

The Minister of Defence (Shri Krishna Menon): (a) and (b). A licence agreement for the manufacture of Avro 748 aircraft in India was entered into with M|s. Hawker Siddeley Aviation Ltd., U.K., in July 1959. No fresh agreement has been entered into with Hawker Siddeley Aviation Ltd. recently.

3

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

*८४४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारे में संसद् द्वारा हाल में पारित किये गये अधिनियम के फलस्वरूप उक्त सम्मेलन की दशा सुधारने और व्यवस्था ठीक करने में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): हिन्दी साहित्य सम्मेलन कानून पास करने के बाद से भारत सरकार ने ये कार्रवाई की है :—

(१) तारीख २८ जून, १९६२ से कानून को लागू करने के लिए एक गजट-अधिसूचना जारी की गई है।

(२) एक और गजट अधिसूचना के जरिये पहला प्रबंध-मण्डल भी बना दिया गया है।

(३) पहले प्रबंध-मण्डल की बैठकें २८-६-६२ और ३०-८-६२ को हुई।

इस कानून की वैधता के बारे में कुछ लोगों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उजर पेश किया है।

Death in Tehar Central Jail, Delhi

8

*845. **Shri S. M. Banerjee:**
Shri H. N. Mukerjee:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Dinen Bhattacharya:
Shri H. P. Chatterjee:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a person named Amar Nath aged 26 years who was arrested under Section 307 I.P.C. died in Tehar Central Jail, Delhi, on 28th July, 1962;

(b) whether this was shown as a suicide case;

(c) whether the body was cremated without informing the parents;

(d) if so, whether the mother has made a representation to the Home Minister;

(e) if so, whether any inquiry has been made; and

(f) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shrimati Chandrasekhar): (a) and (b). Yes. A magisterial inquiry was held to ascertain the cause of death and it was found that Shri Amar Nath had committed suicide in his cell by throttling himself with his loin cloth.

(c) The deceased had given two different addresses—one in Delhi and the other in Amritsar. These two addresses were different from the address later given by the deceased's mother in her representation. Attempts were made to contact the relations of the deceased at the Delhi address given by him but without success. It was, therefore, considered necessary to cremate the body through a social organisation known as the Sewa Samiti.

(d) Yes. A representation from the deceased's mother was received on the 4th August, 1962.

(e) and (f). The magisterial inquiry was definite that the deceased's death was due to suicide. It was, therefore, not considered necesary to make further inquiries.

पुंच में पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना

*८४६. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १८ अगस्त, १९६२ के समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर गया है कि पुंच क्षेत्र में भारतीय सीमा पुलिस चौकी पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पिछले सात दिनों से लगातार हमले किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनका विस्तृत विवरण जानने का यत्न किया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान को भारत की ओर से कोई विरोध पत्र भी भेजे गये हैं; और

(घ) उपरोक्त हमलों के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है तथा इसकी भी कोई जानकारी सरकार को मिली है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). सरकार के सामने यह रिपोर्टें आई हैं । कुछ समय से, पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाएं, पोलीस और सशस्त्र असैनिक, इस क्षेत्र में युद्ध विराम सीमा के उस पार से हस्तक्षेप करते रहे हैं, उससे अधिक पिछले दो वर्षों में, और उस से भी अधिक पिछले कुछ महीनों में, और इस तरह वह अशासन और अशान्ति पैदा करते रहे हैं । इस परिस्थिति का सामना करने के लिए, जम्मू-काश्मीर सरकार को बालकोट और तारकुण्डी स्थानों पर, जून १९६१ में पोलीस चौकियां स्थापित करनी पड़ी थीं । यह चौकियां इसलिये स्थापित की गई थीं, कि असैनिक पोलीस उस क्षेत्र में, अपने शासन और शांति स्थापित किये रखने के साधारण कर्तव्य पालन कर सके । तदपि जब से यह चौकियां स्थापित हुई हैं, उन पर पाकिस्तान के हस्तगत काश्मीर से लगातार गोली चलाई जाती है । कई अवसरों पर जम्मू काश्मीर की इन चौकियां को भी आत्मरक्षा में, उत्तर में गोली चलानी पड़ी है ।

(ग) जी नहीं । पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम समझौते के उल्लंघन की शिकायत, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक प्रेक्षकों को कार्य प्रणाली के अनुसार कर दी गई है ।

(घ) जी नहीं ।